कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

आदर्श विद्यालय को विकसित करने हेतु कार्ययोजना में भौतिक अवसरंचना का विकास एवं आईसीटी लैब की स्थापना में छात्रकोष/विकास कोष की राशि व्यय करने की भी महति भूमिका है। छात्रकोष/विकास कोष की राशि का व्यय करने के सबंध में पारदर्शी एवं प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.02.2015 द्वारा विस्तार से निर्देश जारी कर समसंख्यक पत्र दिनांक 30.09.2015 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संस्थाप्रधान (प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक) से यह अपेक्षा की गयी थी कि वे विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक अविलम्ब आहूत कर –

(i) विद्यार्थी कोष में अवशेष राशि की जानकारी समिति के सदस्यों को दी जाए।
(ii) राशि व्यय करने के सबंध में जारी परिपत्र दिनांक 28.02.2015 के अनुसार कार्य–योजना प्रस्तुत कर अनुमोदन करवाया जाए।
(iii) कार्य योजना के अनुसार राशि व्यय की जाए।
(iv) विकास कोष के रूप में वसूल की जा रही राशि के पुनर्निर्धारण हेतु समिति क समक्ष विचार किया जाए ताकि समिति द्वारा निर्णय लिया जा सके।

बैठक आहूत किए जाने से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उपलब्ध करवायी जाने वाली सुविधाओं एवं विद्यालय के विकास में सुधार होने के साथ साथ ग्रामवासियों का विद्यालयों से अधिक जुडाव होगा तथा विकास कोष के रूप में वर्तमान में ली जा रही राशि के बारे में पुर्नविचार कर सकेंगे, ताकि उनकी ग्राम पंचायत का आदर्श विद्यालय अन्य विद्यालयों के लिए मार्गदर्शी विद्यालय (Mentor School) एवं संदर्भ केन्द्र (Resource Center) बन सके।

राज्य स्तर पर दिनांक 4.11.15 एवं 5.11.15 को की गयी समीक्षा के दौरान यह बिन्दु स्पष्ट हुआ है कि समस्त विद्यालयों में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठकें आयोजित नहीं होने से छात्र कोष/विकास कोष में अवशेष राशि का उपयोग नहीं हो रहा है एवं ग्राम वासियों (समिति सदस्यों) को अवशेष राशि की जानकारी नहीं है।

छात्र कोष/विकास कोष के सबंध में जरिए पत्र दिनांक 16.11.2015 संस्थाप्रधानों को राशि व्यय कर पत्रावली संधारित करने बाबत पुनः व्यावहारिक निर्देश जारी किए गए हैं ताकि उनके द्वारा SDMC की बैठक आहूत कर अवशेष राशि को छात्र सुविधाओं एवं विद्यालय विकास के लिए व्यय कर सके।

आदर्श विद्यालयो के संचालन हेतु जारी मार्गदर्शिका वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 3.1 एवं 3.2 में प्रत्येक माह के प्रथम एवं अंतिम शनिवार को अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के सहयोग से विद्यालयों में स्वच्छता दिवस मनाऐ जाने का उल्लेख किया गया है। इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि माह नवम्बर 2015 के अंतिम शनिवार (28-11-2015) को प्रत्येक राजकीय उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में SDMC की बैठक आवश्यक रूप से आहूत की जावे।

इस क्रम में संस्था प्रधानों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे विद्यालयों में दिनांक 28.11.2015 को विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठकों का पूर्ण प्रचार प्रसार व तैयारी के साथ प्रभावी तरीके से आयोजन कर बिन्दु संख्या (i) से (iv) की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। शिथिलता पाए जाने पर आवश्यक सख्त कार्यवाही की जाएगी।

19/11-2015
(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक– शिविरा/माध्य/मा/स/22423/2001–02 दिनांक 19.11.2015

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त उपनिदेशक–माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक/प्रारं0 को आवश्यक परिवीक्षण एवं प्रबोधन हेतु
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड बाबत।
5. सबंधित संस्थाप्रधान राजकीय उच्च माध्यमिक/राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।